वार्षिक कलेण्डर - 2016-17

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति की बैठक आयोजन के लिए

मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की अप्रैल माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिंदु :-

1. पिछली बैठक में लिये निर्णयों की अनुपालना–समीक्षा।
2. समिति के बैंक खाता में बकाया अनटाईड राशि का विवरण।
3. बैठक दिवस को अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की सूची तैयार करना तथा वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. क्षेत्र में संभावित बालविवाह की चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिए गाँव–ढाणियों में बालविवाह दुष्प्रभावों की जानकारी पहुँचाने की कार्ययोजना बनाना।
5. प्रतिमाह आयोजित होने वाले एमसीएचएन दिवस के प्रचार–प्रसार के लिए मुनादी किये जाने की व्यवस्था करना।
6. गाँव–ढाणियों की आवश्यतानुसार अध्यक्ष महोदय व सदस्यगणों की सलाह पर स्थानीय बिंदुओं पर विचार–विमर्श।
7. छःमाह की आयु उपरान्त बच्चे को आई.एफ.ए. सिरप उपलब्धता की जानकारी देवें।
8. बिन्दु संख्या 4 के विस्तृत मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेंडा के रूप में शामिल करना।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- ए.एन.एम. बैंक संबंधी आवश्यक जानकारियां सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र/बीसीएमओ कार्यालय पर यथाशीघ्र प्रेषित करेंगी।
- टीकाकरण दिवस को अनुपस्थित रहे लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी एवं टीकाकरण के लिए उनके अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी का पता लगाया जाये।
- अप्रेल बैठक में लिये गये निर्णयों को रजिस्टर में अवश्य लिखा जाये।

सही उम्र में बनें हमजोली

बाल विवाह करना, करवाना या इसमें सहयोग देना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर सजा व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

APRIL 2016

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की मई माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दुः-

1. पिछली बैठक में लिये निर्णयों की अनुपालना।
2. बैठक दिवस को एमसीएचएन में टीकाकरण के अर्जित लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की सूची तैयार करना, प्रचार–प्रसार के लिए मुनादी किये जाने की व्यवस्था करना एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
3. क्षेत्र में संभावित बालविवाह की चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिए गाँव–ढाणियों में बालविवाह दुष्प्रभावों की जानकारी पहुँचाने की कार्ययोजना बनाना।
4. गर्मी में लू–तापघात, पेयजल उपलब्धता, हवादार वातावरण इत्यादि के बारे में विचार–विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेना। (पेयजल के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों/सब–सेंटर/सार्वजनिक स्थलों पर मटके–लोटेदार घंटी की व्यवस्था तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाईट पंखा व कॉटन पंखियों– बीजणी की व्यवस्था इत्यादि)।
5. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों व आनेवाले लाभार्थियों के बैठने व अन्य उपलब्ध व्यवस्थाओं पर चर्चा करना एवं फर्श, कुर्सी, टेबल, अलमारी, तालाचाबी, संदूक, लालटेन, रसोई बर्तन, खिड़की मरम्मत, भवन संबंधी टूटफूट ठीक कराना, हैण्डपम्प पानी स्रोतों के आसपास नालियों की साफ–सफाई के मरम्मत कार्य इत्यादि की व्यवस्था करना।
6. नव–विवाहित दम्पत्तियों की सूची तैयार कर प्रजनन अधिकारों की जानकारी व अस्थायी परिवार नियोजन के साधनों की चर्चा।
7. क्षेत्र के गाँव–ढाणियों की आवश्यतानुसार अध्यक्ष महोदय व सदस्यगणों की सलाह पर गाँवों का स्वास्थ्य प्लॉन तैयार करने के उत्तरदायित्व सौंपना।
8. राज्यभर में आयोजित होने वाले विटामिन ए कार्यक्रम के महत्व पर चर्चा करना एवं समस्त लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिये कार्ययोजना बनाना।
9. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।
10. उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेंडा के रूप में शामिल करना।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- ए.एन.एम. बैंक संबंधी आवश्यक जानकारियां सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र / बीसीएमओ कार्यालय पर यथाशीघ्र प्रेषित करेंगी।
- एमसीएचएन व टीकाकरण दिवस को अनुपस्थित रहे लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी एवं टीकाकरण के लिए उनके अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी का पता लगा कर उन्हें आगामी सत्र में लाने के लिए जिम्मेदारी तय करना।
- मई बैठक में लिये गये निर्णयों का इन्द्राज व खर्चे का नियमानुसार रिकार्ड रजिस्टर में लिखना।
- बैठक में सदस्यगणों द्वारा क्षेत्र में निभाये जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी जायेगी।
- नव–विवाहित दम्पत्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभिन्न जानकारियाँ प्रदान कर साधन उपलब्ध करवाया जाना।
- बैठक में स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़े बिन्दुओं पर आवश्यकरूप से चर्चा करके उनकी व्यवस्था जनसहयोग अथवा बाजार से नियमानुसार खरीद कर जनसमुदाय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक बैठक से पहले व बाद में विचार–विमर्श योग्य एवं लिये गये निर्णयों तथा किये जाने वाले कार्यों/व्यवस्थाओं को रजिस्टर में स्पष्ट शब्दों में अवश्य लिखा जाना।
- गर्भवती महिला से प्रसवोपरान्त परिवार नियोजन साधनों के बारे में चर्चा करना।

विद्यार्थियों के 5 वर्ष पूर्ण होते ही डी.पी.टी. का एक टीका एवं 10 व 16 वर्ष पूर्ण होते ही टी.टी. का एक–एक टीका अवश्य लगवायें।

MAY 2016

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की जून माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दुः–

1. मई माह की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में किये गये कार्यों की समीक्षा।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. बैठक दिवस को अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की सूची तैयार करने के उत्तरदायित्व सौंपना।
4. पिछली बैठक के बिंदु ''गर्मी में लू–तापघात, पेयजल उपलब्धता, हवादार वातावरण इत्यादि के बारे में विचार–विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेना।'' पर पुर्नः समूह चर्चा करना। (पेयजल के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों/सार्वजनिक स्थलों पर मटके– लोटेदार घंटी की व्यवस्था तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाईट पंखा व कॉटन पंखियों– बीजणी की व्यवस्था इत्यादि)
5. ग्रामीण क्षेत्रों में जनआबादी वाले स्थानों पर हवादार वृक्ष के रोपण की आवश्यकता पर चर्चा करके स्थानों का चयन करना साथ ही वृक्षारोपण के लिए वृक्षों की वनविभाग या अन्य स्रोतों से खरीद की व्यवस्था करना।
6. बैठक में आशासहयोगिनी द्वारा किये गये एवं करने योग्य कार्यों की समीक्षा करना।
7. आशा एवं ए.एन.एम. से परिवार नियोजन अपनाने वाली योग्य दम्पति के बारे में चर्चा।
8. घर आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के तहत प्रसुता एवं नवजात शिशु को स्तनपान सुनिश्चित कराना एवं खतरे के लक्षणों की पहचान कर समय पर '104' जननी एक्सप्रेस के माध्यम से चिकित्सा संस्थान रेफर करने पर चर्चा।
8. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- पिछली बैठक में तैयार करवाये गये गांव स्वास्थ्य प्लॉन के अनुसार ए.एन.एम./आशा–सहयोगिनियाँ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े समस्त बिन्दुओं से जुड़ी जानकारियाँ अपने साथ बैठक में लेकर आयेंगी एवं प्रस्तुत करेंगी।
- जून माह की बैठक में भी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों व आनेवाले लाभार्थियों के बैठने व अन्य उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी दी जायेगी एवं जरूरत की फर्श– कुर्सी– टेबल– अलमारी–तालाचाबी–सन्दूक– लालटेन– रसोई बर्तन– खिड़की मरम्मत– भवन संबंधी टूटफूट ठीक कराना– हैंडपम्प/ आँगनबाड़ी जैसे स्थानों के आसपास नालियों की साफ–सफाई के मरम्मत कार्य, इत्यादि अन्य आवश्यक कार्यों व वस्तुओं की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- क्षेत्र के गाँव–ढाणियों में हवादार वृक्षों को रोपने के लिए ग्रामीणों, सरकारी कार्मिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधिगणों इत्यादि के द्वारा आबादी वाले स्थानों पर वृक्ष लगवाये जायें एवं रोपित वृक्षों की देखभाल के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी जानी चाहिए।
- योग्य दम्पतियों के द्वारा अपनाये जाने वाले परिवार नियोजन के साधनों के बाबत प्रेरित करना।
- शिशु को 6 माह की उम्र तक केवल स्तनपान कराना एवं स्तनपान को कम से कम 2 वर्ष की आयु तक जारी रखना। 6 माह की आयु पश्चात् पर्याप्त पूरक आहार दिया जाना सुनिश्चित करने पर चर्चा करें। लोगों को इनकी जानकारी दी जाये।

हीमोग्लोबिन 7 से 10 ग्राम वाली गर्भवती महिला की नजदीकी सीएचसी पर प्रत्येक शुक्रवार को आयरन सुक्रोज दिलावें, गर्भवती महिला को एनिमिया से बचावें।

JUNE 2016

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

(आर.बी.एस.के.)

बाल स्वास्थ्य जांच और त्वरित उपचार सेवाएं

यदि आपके पास आर. बी. एस. के. रैफरल कार्ड है और यदि स्वास्थ्य संस्थान पर चिकित्सा सुविधा न मिलें तो 104 हैल्पलाईन नम्बर पर अवश्य सूचित करें।

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की जुलाई माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दुः-

1. जून माह की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता पर चर्चा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में जनआबादी वाले स्थानों पर हवादार पौधों के रोपण पर चर्चा–कर स्थान चयन, वृक्षों की वनविभाग या अन्य स्रोतों से खरीद की व्यवस्था।
4. बैठक में ए.एन.एम. स्वयं उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेगी एवं चलाये जा रहे 'जनसंख्या पखवाड़े' की जानकारी जनसमुदाय में पहुँचाना।
5. ए.एन.एम ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय '104' जननी एक्सप्रेस, 108 एम्बूलेंस सेवा, बेस एम्बूलेंस, संस्थागत प्रसवों की स्थिति, टीकाकरण तथा एचबीएनसी (नवजात शिशु की देखभाल कार्यक्रम व बीमार बच्चों के देखभाल एवं रेफरल की चर्चा) लक्ष्यों की स्थिति तथा मौसमी बीमारियों के बचाव व उपचार के लिए किये जा रहे प्रचार–प्रसार व गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
6. क्षेत्र की समस्त पंजीकृत गर्भवती, अधिक जोखिम वाली गर्भवती एवं धात्री माता को दी जा रही एएनसी/पीएनसी/टीकाकरण सेवाओं की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट एएनएम/ आशा दोनों द्वारा प्रस्तुतीकरण।
7. ए.एन.एम. एवं आशा–सहयोगिनी के द्वारा गर्भवती/प्रसुति महिलाओं को दिये गये परामर्श के बारे में चर्चा।
8. बरसाती मौसम की आवश्यकतानुसार गाँव–ढाणियों में आने वाले संभावित वर्षा के पानी के बहाव क्षेत्र तथ ठहराव क्षेत्र की जानकारी बहाव मार्ग को खोलना। (पानी के बहाव व ठहराव मार्गों की साफ–सफाई व मरम्मत के लिए जनसहयोग, मलेरिया रोधी विभागीय कार्यवाही अथवा मजूदरों की मदद से पूरा किया जाना चाहिए)।
9. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा।

आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- जुलाई माह की बैठक में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विशेषरूप से आमंत्रित करना।
- समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना व अनटाईड फण्ड का व्यय विवरण पेश करना।
- समिति के कार्यक्षेत्र की ग्राम–ढाणियों में स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी सूचना, रोग–महामारी एवं कुप्रथा जैसी स्थिति में समिति के समक्ष शीघ्र जानकारी लाकर सुधार के लिए योजना बनाना।
- बैठक में एएनएम/आशासहयोगिनी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य–स्वच्छता रिपोर्ट को आगामी पीएचसी/सीएचसी की बैठक में जमा करवाना।
- एएनएम/आशा अपनी रिपोर्ट में मातृ–शिशु से सम्बन्धित जानकारियों के अतिरिक्त 104 जननी एक्सप्रेस, क्षेत्र में हुयी मातृ–शिशु मृत्यु, स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध दवाईयों–उपकरणों व अन्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी अगस्त बैठक में प्रस्तुत करना।
- ए.एन.एम. आशा के द्वारा गर्भवती एवं अधिक जोखिम वाली प्रसुति महिलाओं को दिये गये परामर्श के बारे में चर्चा।
- समिति की बैठकों में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं–कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाना एवं गाँव के विद्यालय में छात्र–छात्राओं को स्वास्थ्य शिक्षा देने हेतु प्रधानाध्यापक से सम्पर्क कर प्रार्थना सभा के समय उपस्थित होकर बताना।
- माह अगस्त में 1 अगस्त : स्तनपान दिवस के मौके पर धात्री माताओं को स्तनपान के महत्त्व एवं सही तरीकों एवं ओ.आर.एस. घोल बनाने व उपयोग के बारे में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से जानकारी देने की कार्य–योजना जुलाई बैठक में बनाना।

संस्थागत प्रसव अपनायें, माँ शिशु का जीवन खुशहाल बनायें

JULY 2016

S	M	T	W	T	F	S
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

आप हर दिन सूखे कपड़े पहनती हैं तो
माहवारी के दिनों में
गीला कपड़ा क्यों ?

गन्दे कपड़े के मुकाबले
सैनिटरी नैपकीन गीलापन
सोख कर आपको देता है
बेहतरीन सुरक्षा

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की अगस्त माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दुः-

1. जुलाई बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता पर चर्चा।
3. बैठक दिवस को एमसीएचएन–दिवस में अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. मलेरिया–चिकनगुनिया–डेंगू–उल्टीदस्त इत्यादि वर्षाजनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम–उपचार की कार्ययोजना बनाना। (एएनएम–आशा इस बैठक में स्वास्थ्य जाँच व स्वच्छता के लिए की गयी तैयारियों एवं उपलब्ध व जरूरत वाले उपकरणों–दवाईयों इत्यादि की जानकारी प्रस्तुत करेंगी। बैठक में अनुपलब्ध सामग्री जैसे डीटीटी, एम.एल.ओ., क्लोरीन गोलियाँ, गम्बूसिया मछलियाँ इत्यादि की उपलब्धता या खरीद की कार्यवाही बैठक के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित की जाये)
5. क्षेत्र की समस्त पंजीकृत गर्भवती, अधिक जोखिम वाली गर्भवती एवं धात्री माता को दी जा रही एएनसी/पीएनसी/टीकाकरण सेवाओं की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट एएनएम/ आशा दोनों द्वारा प्रस्तुतीकरण।
7. क्षेत्र में सर्दी–खाँसी–बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान–जाँच–उपचार पर चर्चा।
8. बैठक में चर्चित एवं आवश्यक सामग्री की खरीद व्यवस्था व माँगपूर्ति पर निर्णय लिया जाना।
9. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- जुलाई बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना की जानकारी प्रस्तुत की जाये, अनटाईड फण्ड का व्यय विवरण पेश करना एवं शेष रहे कार्यों को आगामी बैठक के एजेण्डा में शामिल करना।
- टीकाकरण–दिवस को अनुपस्थित रहे/वंचित लाभार्थियों की सूची बनाकर उसी दिन नामांकित किया जायेगा तथा उन्हें आगामी सत्र की जानकारी देकर प्रेरित किया जायेगा।
- मलेरिया रोकथाम के लिए डीडीटी– गम्बूसिया मछली–फोगिंग–मॉबीआयॅल–क्लोरिकरण इत्यादि के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को समिति बैठक के आधार पर पत्र लिखकर कार्यवाही करवायी जाये।
- आशा–सहयोगिनी स्तनपान सप्ताह में की जा रही गतिविधियों की जानकारी बैठक में प्रस्तुत करेंगी।
- आशा–सहयोगिनी एवं ए.एन.एम. धात्री महिलाओं से स्तनपान एवं पोस्टपार्टम परिवार नियोजन के बारे में चर्चा।
- हाई–रिस्क गर्भवती, प्रसूताओं, शिशुओं को चिन्हित कर एएनएम– चिकित्साधिकारी को जानकारी देना एवं संस्थागत प्रसव हेतु नामजद जिम्मेदारी तय करें।
- 15–अगस्त, खेल दिवस, स्वच्छता अभियान जैसे विशेष उत्सवों पर आई.ई.सी. गतिविधियों का आयोजन समिति कार्यक्षेत्र के गाँवों में किया जाये एवं इनके आयोजन के लिए समिति बैठक में चर्चा करके वित्तीय स्वीकृत नियमानुसार प्राप्त कर ली जाये।

जे.एस.वाई/ शुभलक्ष्मी प्रोत्साहन राशि बैंक खाते से लाभ हेतु बैंक पासबुक, ममता कार्ड तथा राशन कार्ड/भामाशाह कार्ड/ आधार कार्ड की फोटो कॉपी प्रसव के लिए साथ लेकर जायें।

AUGUST 2016

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

जे.एस.वाई. के अन्तर्गत देय राशि	बालिका के जन्म पर देय राशि	बालिका के एक वर्ष की आयु पूर्ण होने पर देय राशि	बालिका की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने पर देय राशि	शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत कुल देय राशि
ग्रामीण क्षेत्र रु.1400/- एवं शहरी क्षेत्र रु.1000/-	रु. 2100/-	रु. 2100/-	रु. 3100/-	रु. 7300/-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की सितम्बर माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दु-

1. अगस्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना ।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता पर चर्चा।
3. बैठक दिवस को एमसीएचएन–दिवस में अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. मलेरिया–चिकनगुनिया–डेंगू–उल्टीदस्त इत्यादि वर्षाजनित मौसमी बीमारियों एवं बच्चों में दस्त व निमोनिया इत्यादी की रोकथाम – उपचार के लिए की जा रही गतिविधियों पर चर्चा।
5. बैठक में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेगी एवं केन्द्र पर पंजीकृत क्षेत्र की समस्त गर्भवती, धात्री माताओं एवं प्रसूताओं की सूची प्रस्तुत करेंगी। इन महिलाओं एवं बच्चों को दिये जा रहे पोषाहार की जानकारी, कुपोषण से ग्रसित बच्चों की पहचान के लिए पोषण अभियान की कार्ययोजना का निर्माण।
6. एसडीआर रजिस्टर की समीक्षा एवं पंजीकृत योग्य–दम्पतियों को परिवार कल्याण सेवाओं की जानकारी के लिए ''नियंत्रित परिवार'' अभियान की कार्ययोजना का निर्माण।
7. छःमाह की आयु उपरान्त बच्चों के लिए आई.एफ.ए. सीरप उपलब्धता की जानकारी देवें।
8. क्षेत्र में हुयी मातृ–शिशु मृत्यु की जानकारी एवं इसके कारणों पर सामाजिक विश्लेषण विस्तृत चर्चा।
9. बैठक में चर्चित एवं आवश्यक सामग्री की खरीद व्यवस्था व माँगपूर्ति पर निर्णय लिया जाना।
10. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- अगस्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना, शेष रहे कार्यों को इस बैठक के एजेण्डा में शामिल किया जाना।
- पिछले माह में अनटाईड राशि से किये गये व्यय की जानकारी व सम्बन्धित रजिस्टर में सूचना अंकित किया जाना।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र पर पोषाहार वितरण एवं कुपोषित बच्चों की केन्द्र पर उपस्थिति एवं स्थिति पर चर्चा करे।
- संभावित मलेरिया–डेंगू बुखार पीड़ितों एवं हाई–रिस्क गर्भवती, प्रसूताओं, शिशुओं को चिन्हित कर एएनएम–चिकित्साधिकारी को जानकारी जरूर दी जायेगी।
- क्षेत्र में पोषण अभियान एवं परिवार नियोजन अभियान की व्यापक कार्ययोजना बनाकर दोनों अभियान के तहत् घर–घर जाकर लाभार्थियों से सम्पर्क किया जायेगा एवं जानकारी ली दी जायेगी तथा उन्हें उपलब्ध करवायी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- पोषण अभियान में कुपोषण की जाँच की जायेगी एवं परिवार नियोजन अभियान में परिवार कल्याण सेवाओं की जानकारी व लाभ उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- दोनों अभियान के लिए आवश्यक खर्च हेतु समिति में वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जाये।

प्रत्येक घर में ओआरएस घोल की उपलब्धता एवं बनाने की विधि समझाऐं।

SEPTEMBER 2016

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की अक्टूबर माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दु:-

1. सितम्बर बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव-ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. बैठक दिवस को एमसीएचएन-दिवस में अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. 'परिवार नियोजन अभियान' एवं 'पोषण अभियान' की जानकारी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
5. कुपोषण उपचार के लिए चिन्हित बच्चों की जाँच एवं उपचार के लिए कार्ययोजना निर्माण।
6. माह जनवरी से अगस्त तक आयोजित समस्त वीएचएससी की बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं पूरे किये गये नये कार्यों की समीक्षा।
7. छःमाह की आयु उपरान्त बच्चों के लिए आई.एफ.ए. सीरप उपलब्धता की जानकारी देवें। NIPI कार्यक्रम के तहत 6 माह से 60 माह (5 वर्ष) के बच्चों को आयरन सीरप एवं 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को आयरन पिंक गोली देने पर तथा साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण (WIFS) कार्यक्रम के तहत 10 से 19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को एनिमिया मुक्त करने हेतु आयरन की नीली गोली साप्ताहिक दी जाने पर चर्चा करें।
8. 'नेत्र ऊर्जा अभियान' की जानकारी देना एवं कार्ययोजना का निर्माण करना।
9. बैठक में चर्चित एवं आवश्यक सामग्री की खरीद व्यवस्था व माँगपूर्ति पर निर्णय लिया जाना।
10. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- जनवरी से अगस्त माह तक समिति द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना।
- विगत् सितम्बर माह बैठक में पूरे किये गये कार्यों की समीक्षा की जाये।
- कुपोषण ग्रसित चयनित किये गये बच्चों की सूची तैयार कर उन्हें कुशल चिकित्सक से उपचार के लिए व्यवस्था की जाये।
- 'नेत्र ऊर्जा अभियान' में घर-घर जाकर बुजुर्गों, बच्चों की आँखों की प्राथमिक जाँच की जाये एवं आँखों की रोशनी से सम्बन्धित या मोतियाबिंद/ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार की कार्ययोजना बनाकर चिकित्सा सेवा सुनिश्चित की जाये।
- अभियान के लिए आवश्यक खर्चों का आकलन करके वीएचएससी बैठक समिति में वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जाये।

नेत्रदान - महादान

OCTOBER 2016

S	M	T	W	T	F	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

सेहत के खिलते रंग
आशा के संग-संग

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की नवम्बर माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दु:–

1. अक्टूबर माह की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. बैठक दिवस को एमसीएचएन–दिवस में अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. 'परिवार नियोजन अभियान', 'पोषण अभियान' एवं 'नेत्र ऊर्जा अभियान' की उपलब्धियों की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
5. सम्पर्क अभियान की कार्य योजना में नसबन्दी चाहने वाले योग्य दम्पति को नामांकित किये जाने पर चर्चा।
6. सर्दी–खाँसी–जुकाम–बुखार प्रभावित व्यक्तियों से सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत सम्पर्क कर उन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केन्द्र भिजवाने की कार्ययोजना बनाना।
7. विद्यार्थियों के लिए सम्पर्क अभियान की कार्ययोजना निर्माण। (इसमें विभिन्न स्वच्छता–स्वास्थ्य विषय पर स्वास्थ्य शिक्षा दिये जाने हेतु प्रचार–प्रसार नारा–लेखन, निबंध प्रतियोगिताएँ इत्यादि गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है।)
8. बैठक में सम्पर्क अभियान से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार सामग्री, गतिविधियों इत्यादि से संबंधित कार्ययोजना में शामिल बिन्दुओं पर चर्चा एवं आवश्यक सामग्री की खरीद व्यवस्था व मांगपूर्ति पर निर्णय लिया जाना।
9. राज्यभर में आयोजित होने वाले विटामिन ए कार्यक्रम के महत्व पर चर्चा करना एवं समस्त लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिये कार्ययोजना बनाना।
10. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना जरूर की जाये एवं वित्तीय खर्चों को निर्धारित रजिस्टर में इंद्राज करके समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- सम्पर्क अभियान में शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, स्थानीय एनजीओ, जनप्रतिनिधियों, महिला समूहों, एनसीसी–स्काउट्स गाईड्स इत्यादि का सहयोग समिति स्तर पर लिया जाना चाहिए।
- सम्पर्क अभियान में घर–घर जाकर बीमारियों से ग्रसित एवं परिवार कल्याण, कुपोषण ग्रसितों की सघनता से पहचान कर उन्हें उपचार सुविधा का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें।
- अभियान के लिए आवश्यक खर्चों का आकलन करके वीएचएससी समिति में वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जाये।
- आवश्यकतानुसार पोस्टर, पैम्पलेट्स, बैनर, माईक सिस्टम, इत्यादि आई.ई.सी. की सुविधाएं जनसमुदाय को सूचनार्थ ली जानी चाहिए।

नवजात शिशु को ठंड से बचाएँ,
टोपी,कपड़े अच्छे से ओढ़ाएँ,
माँ के पास ही सुलाएँ

NOVEMBER 2016

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की दिसम्बर माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दु:–

1. नवम्बर माह की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. सम्पर्क अभियान की उपलब्धियों एवं लाभार्थियों की स्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
4. स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले नसबन्दी कैम्पस की प्रचार–प्रसार कार्ययोजना पर चर्चा। परिवार नियोजन के अन्य साधन जैसे आईयूसीडी / पीपीआईयूसीडी के लिए परामर्श करना।
5. नसबन्दी योग्य लाभार्थियों के लिए प्रेरणात्मक सत्रो के आयोजन की कार्ययोजना।
6. क्षेत्र में सर्दी–तापमान स्थिति पर विचार–विमर्श एवं आवश्यकतानुसार ग्रामीण रैन–बसेरा सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्य–योजना निर्माण।
7. क्षेत्रवासियों को एचआईवी / एड्स के संक्रमण व उपचार सुविधाओं के बारे में जानकारी सत्रों के आयोजन की कार्ययोजना बनाना।
8. बैठक में प्रेरणात्मक सत्रों व एचआईवी / एड्स के जानकारी सत्रों के आयोजन एवं ग्रामीण रैन–बसेरा सुविधा से सम्बन्धित गतिविधियों की कार्ययोजना में शामिल किये बिन्दुओं पर चर्चा एवं आवश्यक सामग्री की खरीद व्यवस्था व माँगपूर्ति पर निर्णय लिया जाना।
9. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना जरूर की जाये एवं वित्तीय खर्चों को निर्धारित रजिस्टर में इंद्राज करके समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- प्रेरणात्मक सत्र आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, शिक्षकों, लाभ ले चुके लाभार्थियों के सहयोग से लेकर कार्यवाही की जाये।
- समिति की बैठकों में समय–समय पर पीएचसी / सीएचसी / ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारियों एवं बालविकास विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- अभियान सत्रों व ग्रामीण रैन–बसेरा आदि के लिए आवश्यक खर्चों का आंकलन करके वीएचएससी समिति में वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जाये।
- एचआईवी / एड्स जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जानकारी देने या प्रेरणा देने के लिए कुशल चिकित्सकों या परामर्शकों को समिति के स्तर पर आमंत्रित किया जाना चाहिए।

जीवन का प्रथम सोपान
छः माह तक स्तनपान

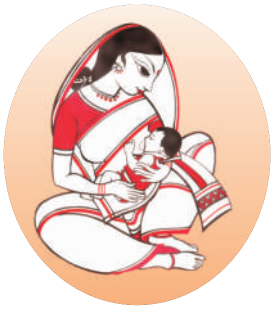

नवजात शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाएं

DECEMBER 2016

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (WIFS)

हर हफ्ते **नीली** गोली लेकर

हम बनें चुस्त

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की जनवरी माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दु:–

1. दिसम्बर माह की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. पिछले एमसीएचएन–दिवस में अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. एचआईवी/एड्स जानकारी अभियान, प्रेरणात्मक सत्र आयोजन एवं ग्रामीण रैन–बसेरा सुविधा की उपलब्धियों एवं लाभार्थियों की स्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
5. स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले नसबन्दी कैम्पस की प्रचार–प्रसार व प्रेरणात्मक सत्रों के आयोजन की कार्ययोजना पर चर्चा।
6. क्षेत्र में कुष्ठ रोग से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान एवं उपचार अभियान की कार्ययोजना बनाना।
7. कुष्ठ रोग से संक्रमित सम्भावित रोगियों की जाँच में आशासहयोगिनी–एएनएम को उत्तरदायित्व सौंपना। परिवार नियोजन के अन्य साधन जैसे आईयूसीडी/ पीपीआईयूसीडी के लिए परामर्श करना।
8. सालाना आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले समस्त बच्चों को दवा/गोली खिलवाना, हाथ धोने की सही विधि व अभ्यास जिससे की क्षेत्र के समस्त बच्चे कृमि मुक्त हो सके।
9. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- समिति की विगत् बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना जरूर की जाये एवं वित्तीय खर्चों को निर्धारित रजिस्टर में इंद्राज करके समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- ग्रामीण रैन–बसेरा शिविरों में साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल, गर्म बिस्तरों, शौच इत्यादि सुविधाओं की सघनता से समीक्षा की जाये।
- कुष्ठ संक्रमित संभावित व्यक्तियों की पहचान करके उनके नाम व पता गोपनीय रखे जाने चाहिए एवं उनके उपचार में विलम्ब नहीं किया जाये।
- अभियान सत्रों व ग्रामीण रैन–बसेरा के लिए आवश्यक खर्चों का आंकलन करके वीएचएससी समिति में वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जाये।
- एचआईवी/एड्स जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जानकारी देने या प्रेरणा देने के लिए कुशल चिकित्सकों या परामर्शकों को समिति के स्तर पर आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हेतु समुदाय में चर्चा करना एवं 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को 10 फरवरी, 2017 को होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों के माध्यम से कृमि नाशक दवा दिलवाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना।

जन्म के पहले हफ्ते में शिशु की तीन जाँच कराएं,
नर्स बहनजी या 'आशा सहयोगिनी' को अवश्य दिखाएं,
समय रहते बीमारी की पहचान व इलाज पाएं,
नवजात को खतरे से बचाएं।

दो बूंद जिन्दगी की

जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं।

JANUARY 2017

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की फरवरी माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दुः–

1. जनवरी माह की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. बैठक दिवस को एमसीएचएन–दिवस में अर्जित टीकाकरण लक्ष्यों की जानकारी एवं वंचित लाभार्थियों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण एवं वंचित लाभार्थियों को टीकाकरण की महत्ता बताते हुए प्रेरित करना।
4. कुष्ठ रोग पहचान अभियान, प्रेरणात्मक सत्र एवं ग्रामीण रैन–बसेरा सुविधा की उपलब्धियों एवं लाभार्थियों की स्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
5. स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों व आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रसव सुविधा, एएनसी/पीएनसी/टीकाकरण व अन्य चिकित्सा उपचार सेवाओं की समीक्षा।
6. क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान की कार्ययोजना बनाना।
7. क्षेत्रीय विद्यालयों में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम गतिविधियों के आयोजन की कार्ययोजना बनाना एवं चयनित बच्चों को उच्चतर संस्थान पर भिजवाने के लिए प्रेरित करना।
8. क्षेत्र में ''बेटी–बचाओ'' अभियान की कार्ययोजना बनाना।
9. चयनित जिलों में समुदाय आधारित कुपोषण प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत चिन्हित बच्चों का पोषण दिवस पर आगमन सुनिश्चित करना व पोषण प्रहरी द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुसार फोलोअप करना।
10. कृमि मुक्ति कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
11. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- समिति की विगत् बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना जरूर की जाये एवं वित्तीय खर्चों को निर्धारित रजिस्टर में इंद्राज करके समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- ग्रामीण रैन–बसेरा शिविरों में साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल, गर्म बिस्तरों, शौच इत्यादि सुविधाओं की सघनता से समीक्षा की जाये।
- समिति स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र व आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं की भौतिक मॉनीटरिंग करके समय–समय पर सघन समीक्षा की जानी है।
- क्षेत्र के आबादी स्थलों, विद्यालयों व बाजारों में नशा मुक्ति, बेटी–बचाओ अभियान की जनजागरूकता गतिविधियों के लिए आवश्यक खर्चों का आकलन करके वीएचएससी समिति में वित्तीय स्वीकृति लेकर नियमानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जाये।
- विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए समिति स्तर पर निर्णय लेकर सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों व बीसीएमओ स्तर पर माँग की जानी चाहिए।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटी है कुदरत का उपहार जीने का उसको भी अधिकार

FEBRUARY 2017

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

आपातकाल सेवा हेतु

CALL 108 EMERGENCY नि:शुल्क सेवा

दुर्घटना/पुलिस/फायर

NATIONAL HEALTH MISSION राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का मासिक कलेण्डर

समिति की मार्च माह की बैठक में चर्चा करने योग्य बिन्दुः–

1. अप्रेल से मार्च महीनों में आयोजित की गयी समस्त बैठकों में लिये गये निर्णयों, किये गये विकास कार्यों की रिपोर्ट वित्तीय रिकार्ड के प्रस्तुतीकरण।
2. समिति के कार्यक्षेत्र के गाँव–ढाणियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी स्थितियों पर चर्चा।
3. नशा–मुक्ति अभियान, बेटी–बचाओ अभियान, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविरों में अर्जित उपलब्धियों एवं लाभार्थियों की स्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
4. वर्षभर का 'माइक्रो प्लान' में शामिल की जाने वाली गतिविधियों की सूचना एकत्रित करके 'माइक्रो प्लान' बनाने की जिम्मेदारियाँ सौंपना। आशा सहयोगिनी एवं ए.एन.एम. योग्य दम्पतियों को परिवार नियोजन के बारें में काउन्सलिंग करेगी।
5. क्षेत्र में 'टी.बी. जागरूकता अभियान' की कार्ययोजना का निर्माण।
6. क्षेत्र में 'आयोडीन अल्पता, एनेमिया, मानसिक रोग, किशोर–किशोरी सत्र आयोजन' इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों की जानकारी सत्रों की कार्ययोजना बनाना।
7. बैठक में आशासहयोगिनी, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि कार्मिकों के द्वारा वर्षभर किये गये कार्यों की Performance Report तैयार करना एवं अनुमोदन।
8. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण।
9. समस्त बैठकों में लिये गये निर्णय अनुसार संपादित कार्यों पर हुये वित्तीय खर्चों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बैंक खातों में शेष राशि का विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाये।
10. अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण के द्वारा रखे गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करना।

उपरोक्त में से आवश्यक चर्चा योग्य मुद्दों को समिति की आगामी बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाये।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- समिति की विगत् बैठक में लिये जाने वाले निर्णयों की पालना जरूर की जाये एवं वित्तीय खर्चों की वर्षभर की वित्तीय एवं कार्य रिपोर्ट समीक्षा उपरांत सम्बन्धित बीसीएमओ कार्यालय पर व्यक्तिगत रूप से पहुँचायी जायेगी।
- माइक्रोप्लान गतिविधियों में ग्राम– ढाणियों की वर्षभर की आवश्यकताओं को शामिल किया जाये एवं इस कार्य में स्थानीय क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों एवं फिल्ड कार्मिकों के सुझाव एवं फीडबैक को आवश्यकरूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- समिति स्तर से अनुमोदित क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों, पेयजल स्रोतों, आँगनबाड़ी केन्द्रों की वर्षभर की समीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को भिजवायी जाये।
- घर–घर जाकर टीबी संक्रमण से सम्भावित व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जाँच एवं उपचार के लिए एएनएम, आशासहयोगिनी व आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सामूहिकरूप से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

छोटा परिवार सुखी परिवार

स्वस्थ परिवार खुशहाल परिवार

MARCH 2017

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

104 चिकित्सा परामर्श सेवा

टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवा

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, जयपुर